an>

Title: Issue regarding alleged corruption involved in implementation of reservation quota for OBCs in medical entrance examination.

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका) : महोदया, बहुत ही अति गम्भीर मामला सामने है, स्वास्थ्य मंत्रालय में आरक्षण घोटाला चल रहा है और अखिल भारतीय स्नातकोत्तर मेडिकल प्रवेश परीक्षा और अखिल भारतीय प्री-मेडिकल, प्री-डेंटल प्रवेश परीक्षा में पिछड़े वर्गों को 27 प्रतिशत आरक्षण केन्द्र द्वारा आयोजित परीक्षा में दिया जाता है, लेकिन जो मेडिकल सीटें केन्द्र के कोटे से राज्य व केन्द्र स्तर पर हैं, उन्हें नहीं दिया जा रहा है। इसके कारण पिछले 6 वर्षों में एम.बी.बी.एस., एम.एस. और एम.डी. में क्रमशः 4,000 और 9,000 पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिला है। इसके कारण पिछड़े वर्गों में भारी आक्रोश है। यह 27 परसेन्ट जो आरक्षण है, इसकी हकमारी हो रही है।

मैं माँग करता हूँ और सदन के जो माननीय सदस्य इसको मानने वाले हैं, वे माँग करते हैं कि जो लोग इस तरह से सामाजिक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और बिना कानून से डरे हुए इसका उल्लंघन कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।

ऑल इंडिया पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंट्रेन्स एग्जामिनेंशन और ऑल इंडिया प्री मेडिकल, प्री डेन्टल इन्ट्रेन्स एग्जामिनेंशन में पिछड़े वर्गों को 27 प्रतिशत आरक्षण देने का काम किया जाए। बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, बहुत अत्याचार हो रहा है, यह आरक्षण घोटाला है। मैं मांग करता हूं कि स्वास्थ्य मंत्री जी यहां वक्तव्य दें कि क्यों स्वास्थ्य मंत्रालय में और सभी जगह शिक्षण संस्थाओं में घोटाला हो रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे सही ठहराया था। ...(व्यवधान) शिक्षा कोर्स में पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे सही ठहराया है लेकिन वेबसाइट पर दिए गए इंफोर्मेशंस, बुलेटिन में बुद्धिमानी से 27 प्रतिशत रिजर्वेशन को खत्म कर दिया गया है। यह दुखद पहलू है। पिछड़े वर्गों के साथ अन्याय है। अन्याय करने वाले लोगों पर कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और उस पर हम सभी लोग एक हैं।

मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी और संबंधित मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण, जो केन्द्र से कोटा राज्य का है, उसमें कोई भी हकमारी नहीं होनी चाहिए। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष :

श्री राजेश रंजन,

श्रीमती रंजीत रंजन और

श्री कौशलेन्द्र कुमार को श्री जय प्रकाश नारायण यादव द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।